सं0 18011/20/2013-नमक
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
(नमक अनुभाग)
.....

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक 11 फरवरी, 2014

<u>रिक्त पद संबंधी परिपत्र</u>

विषय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधीन नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नमक आयुक्त के पद को भरा जाना ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के अधीन संबद्ध कार्यालय, नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नमक आयुक्त के **एक** पद को भरने का प्रस्ताव है। उक्त पद हेतु योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

2. केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/ स्वायत संगठनों में कार्यरत अधिकारी जो ***<u>अनुबंध</u>*** में दी गई शर्तें पूरी करते हैं, के संबंध में प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती के लिए विचार किया जाएगा।

3. पद से संबंधित वेतनमान, पात्रता की शर्तें, अर्हताएं एवं अनुभव तथा पद से संबद्ध कार्यों का विवरण संलग्न ***<u>अनुबंध</u>*** में दर्शाया गया है।

4. केन्द्र या राज्य सरकारों के मंत्रालयों या विभागों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि इस रिक्त पद के संबंध में अपने अधीन कार्यरत उपयुक्त स्तर के सभी अधिकारियों, जिसमें उनके प्रशासनिक नियंत्रणके अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त शासी संगठनों में कार्यरत अधिकारी भी शामिल हैं, में व्यापक प्रचार करें।

-/-

5. उन अभ्यर्थियों के आवेदनों को, जो पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों और जिन्हें चयन की सूचना की तारीख से एक माह की अवधि के अंतर्गत कार्यग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया जा सकता हो, अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर करवा करके तथा कार्यालय प्रधान या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर करके उपयुक्त एवं संबंधित प्रपत्र अर्थात् ***परिशिष्ट*** में, पूर्णरूप से भर कर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित (दो प्रतियों में) अग्रेषित किया जाए:-

(i) संबंधित अभ्यर्थी की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियां, जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का न हो,

(ii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम का न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया (निर्धारित प्रपत्र में) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र,

(iii) सतर्कता मंजूरी (निर्धारित प्रपत्र में), जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक तथा आपराधिक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है (केवल ऐसे उम्मीद्वारों के आवेदन भेजें जिनपर सतर्कता दृष्टि से कोई मामला न हो), तथा

(iv) विगत 10 वर्षों के दौरान अभ्यर्थी पर लगाए गए बड़े / छोटे दण्डों की सूची, यदि कोई हो अथवा कोई दण्ड नहीं प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रपत्र में), जैसा भी मामला हो।

6. रिक्त पद संबंधी सूचना रोजगार समाचार के **दिनांक 08-14 फरवरी, 2014** के अंक में प्रकाशित हुई है। आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन होगी।

-/-

7. इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जनवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं0 एबी-14017/89/2007-स्थापना (आर.आर.) के अनुसार एक बार आवेदन कर चुके अभ्यर्थी पर विचार करने के बाद नियुक्ति के लिए मंत्रीमण्डल नियुक्ति समिति द्वारा चयन हो जाने पर सामान्यत: अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति के लिए मना नहीं करना चाहिए और यदि वह नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो उस के बाद उसके मूल संवर्ग के बाहर के पद के लिए उस अभ्यर्थी के किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित करे कि आवेदन-पत्र हर दृष्टि से पूर्ण हो और निर्धारित प्रपत्र में हो। प्रपत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई सूचना लागू नहीं हो या शून्य हो तो कृपया इसका उल्लेख करें। केवल उन्हीं पूर्ण आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो ऊपर्युक्त पैरा 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा अंतिम तिथि या उससे पहले इस कार्यालय में प्राप्त होंगे। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वालेया निर्धारित प्रपत्र पर नहीं दिए गए या अपूर्ण या अग्रिम तौर पर दिए गए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(एस.एन. मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 2306 1306

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभाग/ राज्य सरकार/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/ सांविधिक/ स्वायत्त संगठन।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रीजी के प्रधान स्टाफ अधिकारी.
2. माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जी के प्रधान निजी सचिव.
3. सचिव (औ.नी. और संवर्धन) के प्रधान निजी सचिव.
4. संयुक्त सचिव (श्रीमती शुभ्रा सिंह) के प्रधान निजी सचिव.
5. सूचन पट्ट / गार्ड फाईल.

(एस.एन. मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>अनुबंध</u>

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर स्थानांतरण आधार पर नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर में नमक आयुक्त (भारतीय नमक सेवा के ग्रेड-। के समूह 'क'राजपत्रित अधिकारी) के पद को भरने के लिए पात्रता शर्तों का ब्यौराः-

1. **<u>वेतनमान :</u>** रू. 5100-150-5700 का पूर्व संशोधित वेतनमान (अब संशोधन करके पीबी-4; रू. 37400-67000 तथा ग्रेड पे रू.8900 कर दिया गया है)

2. **<u>पद से संबंधित कार्य:</u>**

(i) नमक आयुक्त कार्यालय से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले।

(ii) नमक संबंधी सभी नीतिगत निर्णय लेने में भारत सरकार की सहायता करना।

(iii) सम्पूर्ण देश में नमक के निर्माण, आपूर्ति तथा वितरण, देश में नमक उद्योग की वृद्धि एवं विकास का उत्तरदायित्व।

(iv) नमक उपकर अधिनियम, 1953 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के संचालन को सुनिश्चित करना।

(v) देशभर में नमक/आयोडीनयुक्त नमक का पर्याप्त उत्पादन तथा समान वितरण सुनिश्चित करना।

(vi) अधिशेष नमक की उपलब्धता का मूल्यांकन करना तथा ओजीएल के तहत अन्य देशों को नमक के निर्यात का बढ़ावा देना।

(vii) नमक के निर्माण के लिए नमक संगठन के अधिकार वाली केन्द्र सरकार की भूमि को पट्टे पर देना।

(viii) नमक उद्योग के हित में विकास एवं श्रम कल्याण कार्यों तथा नमक कारखानों में लगे श्रमिक और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नमक कारखाना में राहत की व्यवस्था करने संबंधी आयोजना एवं निष्पादन ।

(ix) संगठन प्रमुख के तौर पर, भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत विभिन्न कार्यों को निपटाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के अन्य संगठनों, राज्य सरकारों, यूनीसेफ, डब्ल्यूएचओ, एमआईसी, आईसीसीआईडीडी जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करना।

3. **<u>पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख:</u>**

पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख, आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

-/-

4. <u>पात्रता</u>:

केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत्त संगठनों के वे अधिकारी, जो:-

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों, अथवा

(ii) पूर्व-संशोधित वेतनमान रू.4500-5700 (अब संशोधित करके पी.बी.- 4; रू.37400-67000 तथा ग्रेड पे रू. 8700 कर दिया गया है) वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने पूर्व-संशोधित वेतनमान रू. 3700-5000 (अब संशोधित करके पी.बी.-3; रू. 15,600-39,100 तथा ग्रेड पे रू. 7,600/- कर दिया गया है) वाले या समतुल्य पद पर 7 वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) नीचे मद सं. 5 में किए गए उल्लेख के अनुसार, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों ;

5. <u>पद के लिए अर्हता एवं अनुभव (अंतिम तारीख को निर्धारित किया जाना)</u>

<u>अनिवार्य:</u>

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष;

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कैमीकल इंजी./प्रोद्योगिकी में डिग्री अथवा समकक्ष; और

(ii) रसायनिक उद्योग (नमक उद्योग सहित) में 10 वर्षों का अनुभव

<u>वांछनीय:</u>

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पी.एच.डी. डिग्री अथवा अनिवार्य अर्हता (ii) से संबंधित कैमीकल इंजी./प्रोद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष (अनुबंध)।

-/-

6. <u>आयु सीमा (आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को)</u>

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) नियुक्ति के लिए आयु, आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक न हो।

7. <u>प्रतिनियुक्ति की अवधि/अल्पकालिक संविदा:</u>

केन्द्र सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व की अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा की अवधि आमतौर पर चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्था.(पी-।।), दिनांक 17 जून, 2010 में निहित समय-समय पर यथासंशोधित आदेशों और संविदा के संबंध में शर्तों का निर्धारण संबंधित प्राधिकारी के परामर्श से किया जाएगा।

8. <u>सामान्य शर्तें:</u>

क. केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/संघ राज्य प्रशासनों (उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित)/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत्त संगठनों में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से समुचित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

ख. यह भी ध्यान रहे कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. एबी-14017/89/2007-स्था.(आरआर), दिनांक 02 जनवरी, 2008 के अनुसार, यदि एक बार कोई अभ्यर्थी विचारार्थ आवेदन करता है और एसीसी द्वारा उस पर विचार कर लिया जाता है और चयन कर लिया जाता है तो आमतौर वह नियुक्ति से मना नहीं कर सकता और यदि वह मना करता है तो आगे उस पर उसके संवर्ग के बाहर किसी अन्य नियुक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

ग. जब भी आवश्यकता होगी, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन-पत्रों में दी गई जानकारी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

घ. बाहरी अभ्यर्थी, जो सरकारी सेवा में हैं, यदि उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो वे नियमानुसार अपने संबंधित कार्यालयों से टीए/डीए ले सकेंगे।

ङ. केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।

च. किसी भी रूप में सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा।

-/-

छ. कॉलम सं. 4 में दिए गए अनुसार, निर्धारित आवश्यक अर्हता न्यूनतम है और केवल इतनी अर्हता रखना ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए पात्र नहीं बनता।

ज. सभी प्रकार से पूर्ण और समुचित प्रपत्र अर्थात् परिशिष्ट में आवेदन-पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख अर्थात् 08 फरवरी, 2014 से 60 दिनों के भीतर **अवर सचिव (नमक), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं. 374, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011** के पास पहुँच जाना चाहिए। विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को अथवा उससे पहले उचित माध्यम से प्राप्त पूर्ण आवेदन-पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदन-पत्र एक लिफाफे में भेजे जाने चाहिए, जिसके ऊपर '***नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर में नमक आयुक्त के पद हेतु आवेदन-पत्र***' लिखा हो।

****

-/-

परिशिष्ट

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर में प्रतिनियुक्ति(अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नमक आयुक्त के पद हेतु आवेदन-पत्र का प्रपत्र:

1. नाम:
2. जन्म तिथि:
3. अधिकारी पर लागू सेवा नियमों के अनुसार सेवा निवृत्ति की तिथि:
4. (क) यदि संगठित सेवा से संबद्ध हैं, तो उसका नाम, संवर्ग आबंटन का सन्:
   (ख) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण का नाम:
5. शैक्षिक अर्हताएं:

निर्धारित अर्हताएं		अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं (केवल उन्लें अर्हताओं को दर्शाएं जो निर्धारित अर्हताओं के समकक्ष हो अथवा उच्च हो)
आवश्यक:	(1)	
	(2)	
	(3)	
वांछनीय:	(1)	
	(2)	
	(3)	

टिप्पणी: यदि अधिकारी की अर्हता वही नहीं है जो निर्धारित अर्हता से उच्च है और निर्धारित अर्हता के समतुल्य मानी जाती है, तो उस संबंध में प्राधिकरण का नाम बताएं।

6. अधिकारी ने यदि कोई प्रशिक्षण लिया हो जिसका आवेदन किए गए पद से संबद्ध हो:

7. (1) वर्त्तमान पद जिसपर कार्यरत हैं:
   (2) पूरा वेतनमान:
   (3) वर्त्तमान वेतन तथा तारीख जब से यह वेतन आहरित किया गया है:
   (4) विशेष वेतन, यदि कोई है:

   टिप्पणी: *यदि अधिकारी कोई विशेष वेतन लेता है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत करें :*

   (क) क्या वह नियुक्ति, जिससे विशेष वेतन संबंधित है, एक सावधि नियुक्ति है, और

   (ख) क्या विशेष वेतन पद खास तौर पर इस पद के लिए मंजूर किया गया है और यह इस पदके लिए एक पृथक वेतनमान के बदले में वेतनमान के अतिरिक्त है:

   (5) क्या पद नियमित/ तदर्थ अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर धारित है?

-/-

(6) पद धारण की तिथि

(7) यदि वर्त्तमान पद नियमित आधार पर धारित है परन्तु आंशिक रूप से तदर्थ आधार पर धारित था, तो वह तारीख जिससे यह पद नियमित आधार पर धारित है:

8. यदि वर्त्तमान पद नियमित आधार पर धारित नहीं हैं, तो
   - (क) नियमित आधार पर धारित पद:
   - (ख) वेतनमान:
   - (ग) तारीख जिससे पद नियमित आधार पर धारित किया गया है:

9. पद जिस पर अधिकारी स्थायी क्षमता धारित करता है:

10. 1. यदि वर्त्तमान पद एक सदृश पद है, तो
   - (क) क्या वर्त्तमान पद कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 07.03.1984 के का.ज्ञा.सं. 19017/27/75-स्थापना(डी)-भाग की शर्तों के अनुसार एक सदृश पद है:
   - (ख) पद से संबंधित कार्य:

11. सेवाओं का विवरण:
   - (i) पद का नाम:
   - (ii) नियोक्ता:
   - (iii) अवधि: .... से .... तक
   - (iv) वेतनमान:
   - (v) कार्यभार की प्रकृति:

12. चयन के अपेक्षित क्षेत्र में अनुभव:

13. पिनकोड सहित वर्त्तमान डाक का पता तथा दूरभाष नंबर:

14. क्या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं:

15. अन्य कोई संबंधित जानकारी:

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

<u>अग्रेषण अधिकारी द्वारा कार्यालय प्रयोग के लिए</u>

सं. ....   दिनांक: ....

उपरोक्त प्रविष्टियाँ इस कार्याल्य में उपलब्ध रिकॉर्ड से सत्यापित की गई हैं तथा सही पायी गई है।

हस्ताक्षर:.....................

नाम: ....

कार्यालय की मुहर: ....

-/-

(प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र के साथ पृथकरूप से संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित विभिन्न प्रमाण-पत्रों का प्रारूप)

<u>सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र</u>

डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री .... जिसने प्रतिनियुक्ति आधार पर नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर में नमक आयुक्त के पद के लिए आवेदन किया है, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच के पश्चात यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।

(उप सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए)
नाम और कार्यालय की मोहर:
दिनांक:

<u>सतर्कता मंजूरी प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री .... जिसने प्रतिनियुक्ति आधार पर नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर में नमक आयुक्त के पद के लिए आवेदन किया है, के विरूद्ध कोई सतर्कता संबंधी मामला अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है।

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम और कार्यालय की मोहर:
दिनांक:

<u>कोई दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री .... जिसने प्रतिनियुक्ति आधार पर नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर में नमक आयुक्त के लिए आवेदन किया है, पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ा/ छोटा दण्ड नहीं लगाया गया है।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम और कार्यालय की मोहर:
दिनांक: